<u>आदेश की प्रति</u>

<u>न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0)</u>

<u>जमानत याचिका कमांक 1090/2022 आदेश दिनांक 24–12–2022</u>

देव प्रसाद साव पिता उसतराम साव, उम्र 55 वर्ष,

निवासी पिलवापाली, थाना पिथौरा,

जिला महासमुंद (छ.ग.) .....आवेदक

// विरूध्द //

छ0ग0 राज्य द्वारा

आबकारी वृत्त पिथौरा

जिला महासमुंद (छ.ग.) ..... अभियोजन

———————————————————————————

// आबकारी वृत्त पिथौरा के अपराध कमांक **80/2022** अंतर्गत धारा **34 (2) आबकारी अधिनियम** से संबंधित है, में पारित की गई है और तदानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन **''स्वीकार''** की गयी। //

———————————————————————————

24.12.2022

यह जमानत प्रपत्र प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के शीतकालीन अवकाश पर होने से मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री संजीव पण्डा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री भूपेन्द्र चंद्राकर लोक अभियोजक।

आबकारी वृत्त पिथौरा के अप0क0–80/2022 की केस डायरी पेश।

जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से पेश आवेदन पत्र के समर्थन में जमानत आवेदन की कंडिका–05 में यह व्यक्त किया गया है कि धारा 439(1) दण्ड प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन है। इस प्रकृति की कोई भी अन्य जमानत याचिका किन्हीं भी अन्य समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से दिलीप साव का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने भी व्यक्त किया है कि उसके कार्यालय में अन्य जमानत आवेदन पत्र अन्य किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित होने के संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र एवं उक्त संबंध में उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त को आबकारी वृत्त पिथौरा के अपराध क्रमांक 80/2022 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार कर दिनांक 23.12.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा के समक्ष को प्रस्तुत किया गया था, जहां उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437(1)दण्ड प्रक्रिया संहिता को उसी दिनांक को निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा आवेदक/अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त के उपर फर्जी मनगंढत रूप से आबकारी वृत्त पिथौरा द्वारा अपराध दर्ज किया गया है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कृत्य भी नहीं किया गया है, जिससे की आरोपित अपराध का गठन होता हो। आवेदक/अभियुक्त निवासी पिलवापाली, थाना पिथौरा, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद छ.ग. का स्थायी निवासी है। प्रकरण के विवेचना एवं विचारण में विलंब होने की पूर्ण संभावना है। उस पर आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है, अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने यद्यपि उक्त जमानत आवेदन पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु तर्क के दौरान घोर आपत्ति करते हुए व अपराध को गंभीर होना बताते हुए उक्त जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र व उक्त संबंध में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी वृत्त पिथौरा में अपराध

क्रमांक 80/2022 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध दर्ज होते हुये विवेचनाधीन है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचनाधीन उक्त अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होते हुये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य है। केस डायरी के साथ संलग्न जप्ती पत्रक अनुसार आवेदक/अभियुक्त से एक 05 लीटर क्षमता वाला जरीकेन में 05 लीटर एवं एक 02 लीटर क्षमता वाली बॉटल में 1.5 लीटर, कुल 6.5 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब को जप्त किया जाना बताया गया है जो 05 बल्क लीटर से थोड़ा ही अधिक है। आवेदक/अभियुक्त के आदतन अपराधी होने के संबंध में कोई दस्तावेज केस डायरी में संलग्न नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 23.12.2022 से न्यायिक अभिरक्षाधीन होना बताया गया है तथा अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा प्रकरण में विवेचना पश्चात् मामले के निराकरण में निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है तथा प्रकरण में विवेचना पश्चात मामले के निराकरण में निश्चित रूप से समय लगने की संभावना है।

अतः उपरोक्त दर्शित कारणों से व प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत आवेदक/अभियुक्त **देवप्रसाद साव** को कठोर शर्तों पर जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि यदि उसकी ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000/–रूपये के **एक सक्षम जमानतदार** एवं उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्त के साथ पेश किया जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे :–

01. आवेदक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

02. आवेदक प्रकरण के तथ्यों की जानकारी रखने वाले लोगों को उस तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कोई धमकी, प्रलोभन या उत्पीडन नहीं देगा।

03. आवेदक प्रत्येक पेशी दिनांक को नियमित रूप से न्यायालय मे उपस्थित होगा।

उपरोक्त उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को भेजी जाए तथा आदेश की एक प्रति के साथ प्रकरण की केस डायरी संबंधित थाना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में अभिलेखागर मे जमा हो।

सही/–

(लीलाधर सारथी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
महासमुंद (छ0ग0)

प्रतिलिपिः–

1. माननीय सत्र न्यायाधीश महासमुंद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की ओर आदेश की सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
3. आबकारी वृत्त पिथौरा, जिला–महासमुंद की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

(लीलाधर सारथी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
महासमुंद (छ0ग0)